



मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में वर्चुअल रुप से जनसूनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा समस्या निस्तारण हेतू सम्बन्धित को मौके पर निर्देशित किया गया-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्घ निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा आज दिनांक 10.09.2023 को पुलिस कार्यालय, महोबा में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व थानों के दिवसाधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअली जनसुनवाई की गई।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल रुप से जुड़े हुए अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।











महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने 25 लीटर अवैध शराब

के साथ 02 नफर अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 10.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री प्रवीण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष श्रीनगर द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अर्जुन प्रसाद पटेल आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध कच्ची शराब के साथ 02नफर अभियुक्ताओं क्रमशः 1.पायल कबूत्तरा पत्नी आयुष कबूतरा उम्र 27 वर्ष 2.परि कबूत्तरा पत्नी शंकर कबूत्तरा उम्र 29 वर्ष हाल पता कबूत्तरा डेरा किशोरगंज वृहद ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा निवासी बिच्छू पहाङिया महोबा थाना कोतवाली महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत कब्तरा डेरा किशोरगंज वहद ग्राम बिलरही के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से क्रमशः 10 -15 लीटर (कुल 25 ली0) कच्ची महुआ नाजायज बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना श्रीनगर में क्रमशः मु.अ.स. 174/2023 व मु.अ.स. 175/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियमा का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1.उ0नि0 अर्जुन प्रसाद पटेल थाना श्रीनगर महोबा
- 2. आबकारी निरीक्षक श्रीमती कनीज फातिमा
- 3.आ0का0 आशिक अली 4. आ0का0 अमित सिंह 5.आ0 म0का0नेहा यादव

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरणः-

- 1. पायल कबूत्तरा पत्नी आयुष कबूतरा उम्र 27 वर्ष
- 2. परि कबूत्तरा पत्नी शंकर कबूत्तरा उम्र 29 वर्ष

हाल पता कबूत्तरा डेरा किशोरगंज वृहद ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा निवासी बिच्छू पहाङिया महोबा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा









मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई की पुलिस टीम ने 21 क्वार्टर अवैध

देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेत् अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एंव परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 10.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अर्जुन कुमार पाण्डेय मय हमराह का० सुनील कुमार व कां० अंकुश पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त कमलेश पुत्र गजराज उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा को बीला दक्षिण रोड पर रेलवे क्रासिंग के पास से हिरासत में लिया गया, अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के बोरी में 21 क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 241/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. उ0नि0 अर्जुन कुमार पाण्डेय
- 2. कां0 सुनील कुमार 3. कां0 अंकुश पाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

कमलेश पुत्र गजराज उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्ति:- 21 क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद।







महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों के साथ गोष्ठी कर अभियान को सफल बनाने हेतू की गयी समीक्षा बैठक, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश:-

दिनांक 09.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित सभागार, महोबा में पुलिस महानिदेशक उ०प्र0 महोदय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम मे जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों, अभियोजन अधिकारी न्यायालय व कोर्ट मुहर्रिर/पैरोकारों सहित सम्बन्धित शाखा प्रभारियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर अभियान को सफल बनाने हेत् समीक्षा की गयी।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने निर्देशित किया कि उ०प्र0 शासन की अपराधियों पर जीरों टॉलरेन्स की नीति के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराध एवं पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अपराधों को चिन्हित करते हुये प्रचलित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने और न्यायिक कार्यों को समयबद्ध एवं विधि अनुसार सम्पन्न कराने सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र, अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण पाल सिंह सहित जनपद के समस्त थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे।













मीडिया सेल, महोबा



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 20 अदद क्वार्टर अवैध

देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेत् अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एंव परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 09.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में श्री यशवन्त सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ द्वारा गठित की गई का0 सौरभ सिंह व का0 भरत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जिला महोबा से अवैध शराब के साथ अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह परमार पुत्र रणधीर सिंह उम्र करीब 24 वर्ष को हिरासत में लिया अभियुक्त के कब्जे से एक झोले मे 20 अदद क्वाटर देशी शराब ब्राण्ड ब्लू फ्लैंग से नजायज बरामद की गई, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मू.अ.सं. 138/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. का० सौरभ सिंह 2. का० भरत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

धर्मेन्द्र सिंह परमार पुत्र रणधीर सिंह उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम छितरवारा थाना महोबकंठ जिला महोबा

बरामदगी- 20 अदद क्वाटर देशी शराब ब्राण्ड ब्लू फ्लैग से नाजायज बरामद।











मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा की पुलिस टीम ने पॉक्सो अधिनियम के वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.09.2023 को आज दिनांक 10.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु0अ0सं0 296/2023 धारा 363 भादवि व धारा 11(11)/12 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र भागीरथ कुशवाहा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मडियापुरा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जिला महोबा को थानाक्षेत्र के राठ चुंगी के पास से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के उपरान्त अभियुक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

गजेन्द्र पुत्र भागीरथ कुशवाहा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मडियापुरा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जिला महोबा सम्बन्धित मु०अ०सं० २९६/२०२३ धारा ३६३ भादवि व धारा 11(।v)/12 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 सत्यपाल सिंह प्रभारी चौकी पसवारा थाना कोतवाली नगर महोबा
- 2. कां0 राजकुमार







महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर सदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की, की गयी संघन चेकिंग, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एंव अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम के निकट के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.09.2023 को जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर सदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई तथा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंशानुरुप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश व आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। सवेदनशील स्थानों में सदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन में वाहनों के ई-चालान किये गये।













प्रेस विजिप्त <u> दिनांक - 10.09.2023</u>



मीडिया सेल, महोबा



